कार्यालय- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची- 2

पत्रांक- **दिनांक-**

प्रेषक,

जे०बी० जौहर, भा0व0से0,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची– 2

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची ।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''**लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना**'' **(विशेष अंगिभूत योजना)** के अन्तर्गत बाँस वृक्षारोपण हेतु 200 हे0 में एवं खैर वृक्षारोपण हेतु 1072.94 हे0 में अग्रिम, समापन एवं सम्पोषण कार्य हेतु **रू0 498.180 लाख (चार करोड़, अनठानवे लाख, अठारह हजार)** की योजना की प्रषासनिक स्वीकृति तथा वर्ष 2008–09 में किये जाने वाले अग्रिम कार्य हेतु **219.455 लाख (दो करोड़, उन्नीस लाख, पैंतालीस हजार पाँच सौ) रू0** का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सूचित करना है कि ''**लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना**'' **(विशेष अंगिभूत योजना)** के अंतर्गत बांस एवं खैर का वनरोपण किये जाने का प्रस्ताव है।

2. यह योजना बांस एवं खैर के लिए निर्धारित दर पर की जायेगी। इस योजना को 4 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष अग्रिम कार्य किये जाते हैं जिसमें पौधषाला में पौधा तैयार करना, वन रोपण क्षेत्र का घेरान कार्य, सर्वे एवं सीमांकन, झाड़ी सफाई, भू–संरक्षण एवं पौधा रोपण हेतु गढ्ढे खोदना, कंटूर ट्रेंच बनाना, भू–संरक्षण के अन्य कार्य, इन्ट्री प्वाइंट एवं विविध कार्य किये जाते हैं। द्वितीय वर्ष में पौधषाला में पौधों की सिंचाई, वनरोपण स्थल पर पौधा रोपण, इन्ट्री प्वाइंट, सामग्री, सुरक्षा पर व्यय ट्रेंचों के वर्म पर बीज की रोपणी, दो कोड़नी निकोनी करना तथा विविध कार्य किये जाते हैं। तीसरे वर्ष में एक कोड़नी निकोनी, उर्वरक, गढ्ढा घेरान की मरम्मति, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाना और सुरक्षा प्रदान करना आदि कार्य किये जाते हैं। चतुर्थ वर्ष में सम्पोषण कार्य के अंतर्गत एक कोड़नी निकोनी एवं सुरक्षा किया जाता हैं। इस प्रकार चार वर्षों की यह पूर्ण योजना है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में 1072.540 हे0 में खैर वनरोपण हेतु अग्रिम कार्य किया जायेगा। चार वर्षों की पूर्ण कार्य विवरणी एवं वन प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा स्थल विवरणी अनुलंग्नक 1 पर द्रष्टव्य है।

3. वित्तीय वर्ष 2008–09 में मंत्रीमंडल द्वारा पारित कार्य योजना को ही प्रस्ताव में सम्मिलत किया गया है।

4.वर्ष 2008–09 इस योजना के लिए राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष– 2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, समूह शीर्ष– अनुसूचित जातियों के लिए विषेष अंगिभूत उपयोजना, लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विषेष अंगिकृत उपयोजना, उप शीर्ष– 05–लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना के तहत **रू0 350.000 लाख (तीन करोड़, पचास लाख)** का बजट उपबंध निम्नलिखित प्राथमिक इकाईयों में है **(बजट पु0पृ0सं0–149)।**

1	विस्तृत शीर्ष – 01 – वेतन एंव भत्ते 03 मजदूरी	–	रू0	318.712 लाख
2	विस्तृत शीर्ष – 03 प्रशासनिक व्यय 23 आपुर्ति एंव समग्री	–	रू0	31.288 लाख
	योग	–	रू0	**350.000 लाख**

(तीन करोड़, पचास लाख रू0)

5. इस योजना अंतर्गत वनरोपण का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (विकास), झारखण्ड, रांची के स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जायेगा एवं मजदूरी **90.00 रू0** प्रति मानव दिवस होगी। कार्यदर की सूची अनुलंग्नक 2 क एवं ख पर तथा स्थल विवरणी अनुलग्नक 3 क एवं ख पर संलग्न है।

6. इस कार्यालय के पत्रांक 1029 दि0 27.08.2008 एवं 1116 दि0 16.09.2008 के द्वारा पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव के बाद स्वीकृत बजट उपबंध से अवषेष राषि निम्नवत है।

	ष्षीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में भेजे गये प्रस्ताव	अवशेष राषि	
1	विस्तृत शीर्ष– 01–वेतन एवं भत्ते 03 मजदूरी	318.712	115.358	203.354	लाख
2	विस्तृत शीर्ष– 03–प्रषासानिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री	31.288	11.685	19.603	लाख
	योग	**350.000**	127.043	222.957	लाख

उपलब्ध राषि **रू0 222.957 लाख (दो करोड़, बाइस लाख, पंचानबे हजार, सात सौ रू0)** में से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में निम्न भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित है।

भौतिक लक्ष्य (वित्तीय वर्ष 2008–09)	**प्राथमिक इकाईयां**		**कुल वित्तीय लक्ष्य रू0 (लाख में)**
	मजदूरी	**सामग्री एवं पूर्तियां**	
1072.940 हे0 में खैर वनरोपण का अग्रिम कार्य	178.162	17.897	196.059
200 हे0 में बांस वनरोपण का अग्रिम कार्य	21.690	1.706	23.396
कुल	**199.852**	**19.603**	**219.455**

(दो करोड़, उन्नीस लाख, पैंतालीस हजार, पाँच सौ रू0)

7. इस योजना के कार्यान्वयन होने से वर्ष 2008–09 में 2.220 लाख मानव दिवस का सृजन होगा।

8. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जाने वाली योजना हेतु अनुलंग्नक 1 क एवं ख पर वर्णित पदाधिकारी अपने–अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगें।

अतः अनुरोध है कि वर्ष 2008–09 में प्रस्तावित कार्यों से संबंधित स्वीकृत्यादेष निर्गत करने की कृपा करें।

<u>अनु०यथोक्त ।</u>

आपका विश्वासी,

ह0/–

(जे०बी० जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, रांची– 2

ज्ञापांकः–   दिनांकः–

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रॉची/मुख्य वन संरक्षक विकास (अन्य क्षेत्र) तथा उप वन संरक्षक, योजना अनुश्रवण मूल्यांकन प्रकोष्ट, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित।

(जे०बी० जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, रांची– 2